न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 102/2025 **निर्णय दिनांकः— 25-03-2[illegible]**
(जीसीएमएस संख्या 2025/190)

1. दर्शनसिंह पुत्र तोतासिंह जाति जट सिख निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 01—10—1999
ए.सी.सी. छतरगढ़ मुकान बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छरतगढ़ मुकाम बीकानेर के आदेश दिनांक 01—10—1999 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विकय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन एवं आवंटन अधिकारी छतरगढ मुकाम बीकानेर के समक्ष वर्ष 1996 में विशेष आवंटन में भूमि आवंटन करवाने हेतु तहसील पूगल के चक 1 एम.जी.डब्ल्यु.एम. के मुरब्बा नम्बर 118/48 के किला नम्बर 1 ता 25 कुल 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अपीलांट द्वारा अपने आवंटन संबंधी समस्त दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये गये थे। उक्त विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र में अंकित मुरब्बा नम्बर 118/48 गजट वर्ष 1988 में नोटिफाईड था। जिसके आधार पर अपीलांट का आवेदन पत्र गजट से मिलान कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तथा पत्रावली में आगामी कार्यवाही हेतु पेश होने के आदेश दिये गये। अपीलांट प्रश्नगत आराजी की आज भी किश्ते जमा करवाने को तैयार है। अपीलांट द्वारा उक्त कृषि भूमि हेतु आवेदन किए जाने के पश्चात् अपीलार्थी ने कई बार सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगढ़ मु. बीकानेर के कार्यालय में अपने द्वारा किए गए आवेदन के संबंध में सूचना चाही परंतु इन कार्यालयों से अपीलार्थी को कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं मिला। अपीलांट भूमिहीन काश्तकार है जिसमें अपीलांट को रूपये जमा करवाने हेतु किसी प्रकार की सूचना नही दी गई।

अपीलांट द्वारा पत्रावली को खोजबीन करने पर दिनांक 10–06–2025 को अपीलांट को पत्रावली के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तब अपीलांट द्वारा प्रमाणित नकल प्राप्त की गई तो अपीलांट को पता चला की अपीलांट का आवेदन दिनांक 01–10–1999 को 35 प्रतिशत राशि जमा नही करवाने के कारण खारिज किया जा चुका है। अपीलांट भूमिहीन काश्तकार है जिसने विशेष आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 30–05–1998 द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाने की वजह से अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया गया।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि अपीलांट का आवेदन पत्र 35 प्रतिशत राशि जमा नही करवाने के कारण खारिज किया गया है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जिसकी सूचना व नोटिस अपीलांट को कभी नही दी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को राशि जमा करवाने बाबत कभी कोई सूचना नही दी गई। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब कोई तारीख पेशी नहीं बताई गई थी। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2017 पेज 209 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन 35 प्रतिशत राशि के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है,

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

प्रकरण के गुणावगुण पर न्यायालय का अभिमत है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 1 एम.जी.डब्ल्यु.एम. के मुरब्बा नम्बर 118/48 के किला नम्बर 1 ता 25 कुल 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 30-05-1998 को अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलांट को चक 1 एम.जी.डब्ल्यु.एम. के मुरब्बा नम्बर 118/48 के किला नम्बर 1 ता 25 कुल 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि के के आवंटन हेतु पात्र घोषित किया गया था तथा अपीलांट को समस्त मूल प्रमाण पत्रो के साथ चालान प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु दिनांक 01-10-1999 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका में यह कहते हुए अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया गया कि प्रार्थी को आवंटित भूमि की 35 प्रतिशत राशि जमा नही करवाई है। अतः प्रार्थी की आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाता है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा जमाबंदी संवत 2074-2077 जमाबंदी 2026 (2020) प्रस्तुत की गई। उक्त जमाबंदी के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत आराजी वर्तमान में अराजीराज है।

प्रस्तुत मामलें में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जारी किये गये नोटिस का अवलोकन किया गया। उक्त नोटिस पर किसी प्रकार की तामील की सुनिश्चितता के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई सूचना अथवा चालान प्राप्त हुआ हो।

अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में **माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के प्रकरण संख्या 4811/2014 निर्णय दिनांक 05-01-2026 उनवान साहबराम बनाम सरकार के निर्णय की प्रति पेश की जिसमें अभिनिर्धारित किया है कि " विचारण न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्ध एकपक्षीय होने से समर्थन योग्य नही है तथा ऐसे विधि विरूद्ध आदेश का समर्थन करने से अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।" माननीय न्यायालय द्वारा दोनो अधीनस्थ न्यायालयो के निर्णय को निरस्त करते हुए प्रकरण को पुनः रिमाण्ड किया गया था।**

इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 2017 पेज 209 का न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिसके अभिलिखित है कि:-

Rajasthan Colonisation (Allotment & Sale of Government Land in IGNP Area) Rules, 1975 - R-23(2) Asstt. Commissioner alloted land and cost to be deposited by allottee- Allotment cancelled for non payment- Appellate Court rejected appeal of allottee - Revision before boar – Held - Land still vacant - Allottee could not deposit amount as no notice was received by him - In the interest of justice llotment regularized if allottee deposits cost with interest - Revision allowed on condition.

उक्त नजीर उक्त प्रकरण में पुर्णतया चस्पा होती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं नजीर के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 25-03-26 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर
बीकानेर